न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :—

प्रकरण सख्याः 232/09 — सचिन यादव (आर.ए.एस.)

सीसीएमएस नं. 2009/00021 — दायर दिनांकः 25.09.2009

1.श्रीमति हन्सो पत्नि हुकम जाति गूजर नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. (मृतक)
1/1.हरदेई पुत्री हुकम पत्नि अतरसिंह जाति गूजर नि. करणपुर तह. महवा जिला दौसा राज.
2.बृजेन्द्र पुत्र हुकम गूजर नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——वादीगण

बनाम

1.भगवानसिंह 2.बाबू 3.हरभान पुत्रान मौहरसिंह जाति गूजर नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.
4.राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.
5.यादराम पुत्र मोहनलाल जाति माली नि. भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता— 1.श्री छोटेलाल मीना ——वादीगण
2.श्री ओम प्रकाश व्यास ——प्रति.

निर्णय दिनांक 19.07.2024

वादिनी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 की संयुक्त खातेदारी की आ.ख.नं. 911 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, 1022 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, 1563/422 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, 1564/426 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, 1750/1129 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, 1755/1140 रकबा 19 बिस्वा किता 06 कुल रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम इटामडा तह. भुसावर में स्थित है। जिसके वादीगण 1/4 हिस्से के खातेदार है।

वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी का आपसी मनवट वादीगण के पति/पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता के मध्य आज से करीब 40 साल पहले हो गया था, और उसी अनुसार काविज रहते चले आ रहे है।

ख.नं. 1022 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा सडक के सहारे स्थित है। जिसमें सडक की वजह से नुकसान फसल का ज्यादा होता था। इस वक्त मनवटनी बंटवारा उक्त ख.नं. 1022 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा का निस्फ भाग वादीगण के पति/पिता को सडक के सहारे का हिस्सा दे दिया, तथा निस्फ भाग प्रतिवादीगण के पिता ने ले लिया और इसी प्रकार से आज तक काविज चले आ रहे है और कुछ हिस्से में वादीगण का मकान बना हुआ है तथा पशु बँधते एवं बिटौरा ऊपला रखे हुए है तथा ईंधन लकडी घूडा पडा हुआ है।

कुछ वर्ष पहले कृषि उपज मण्डी का निर्माण विवादित के सामने हो जाने पर जमीन की कीमत में परिवर्तन आ गया है और सडक के सहारे की जमीन की कीमत अधिक होने लगी है

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

तब से प्रतिवादीगण नियत में बदयान्ती आ गई है और वादीगण से उक्त नंबर में से निस्फ भाग जो वादीगण के कब्जे में 40 वर्षो से है उसमें मकान बना हुआ है, को हडपने के इरादे से जबरन कब्जा करने की दिनांक 13.09.2009 को धमकी दी है तथा यह भी धमकी दी है कि हमारे नाम 3/4 हिस्से की खातेदारी है, उसको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वय करेगें कि तुमसे जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर सके और तुमको बर्बाद कर सके। अतः वादीगण, प्रतिवादीगण की उपरोक्त धमकी के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करा पाने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा व जवाब दावा श्री ओम प्रकाश व्यास एड. द्वारा पेश किया गया। वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा. दी. दिनांक 17.04.2013 का यादराम पुत्र मोहनलाल को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने बाबत पेश किया जो दिनांक 03.06.2013 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। उक्त दावा दिनांक 07.01.2016 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया। इस बाबत तहसीलदार, भुसावर क्रमांक/कोर्ट/2016/1264 दिनांक 17.05.2016 को पुनः विभाजन प्रस्ताव लिखा गया। उक्त की पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा दिनांक 08.02.2017 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 12.07.2022 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पेश किया गया। जो स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल पेश किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। उन्होने विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किये जाने बाबत सहमति जताई गई।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.02.2017 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावें तथा मृतक हन्सो के स्थान पर उसके वारिसान हरदेई व बृजेन्द्र को वाहिस्सा बराबर रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री तैयार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)